न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 3/2015 नामान्तरकरण अपील

1. कजोड पुत्र कालू
2. मुकेश पुत्र छीतर
3. नोन्दीलाल पुत्र छीतर
4. फलीराम पुत्र छीतर
5. विकास पुत्र छीतर
6. मु. प्रेम बेवा छीतर
7. रामविलास पुत्र नारायण
8. सांवलराम पुत्र नारायण
9. प्रभू पुत्र नारायण

} समस्त जाति मीना निवासी ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मु. रामी पुत्री केशरा पत्नि मोतीलाल } जाति मीना निवासी चौंडियावास तहसील
2. मु. राजन्ती पुत्री केशरा पत्नि सुखलाल } लालसोट जिला दौसा।
3. मु. लाली बेवा केशरा जाति मीना निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल जाति मीना निवासी 56 केशरा की ढाणी दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट दिनांक 22.02.2015 नामान्तरकरण सं. 1600 ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट)

उपस्थिति :– 1. श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित ।
2. श्री हरिनारायण माठा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 20.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स आराजी खसरा नं. 48 रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट पर अपने परदादा के समय सम्वत 2009 से पूर्व से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलान्ट्स का उक्त वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट्स के पांच पुख्ता मकान व अन्य पाटोल पोश मकान व छप्पर पोश मकान बने हुऐ है एवं विद्युत पम्प सेट से पानी निकालकर अपनी आराजी सिंचित करते है। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 के पूर्वज केशरा के विरूद्ध वर्ष 1988 में प्रस्तुत वाद उनवानी कालू बनाम केशरा आदि न्यायालय उप जिला कलक्टर द्वारा निरस्त फरमाया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर शिविर दौसा में अपील प्रस्तुत कर उप जिला कलक्टर के आदेश को स्थगित करवाया था। उक्त अपील न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 ने रेस्पोडेन्ट सं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर उप पंजीयक कार्यालय लालसोट में प्रस्तुत किया जिसे अपीलान्ट्स ने कई बार न्यायालय से आदेश करवाकर पंजीकृत करने से रूकवा रखा था। रेस्पोडेन्ट सं 1 लगा. 3 ने रेस्पोडेन्ट सं. 4 के पक्ष में उक्त विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2015 को पंजीकृत करवा दिया एवं उप पंजीयक ने प्रकरण की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट सं. 4 के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत कर दिनांक 22.02.2015 को प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया। अतः उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.02.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट्स व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.02.2015 विधि प्रक्रिया नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट्स के पांच पुख्ता मकान, पाटोल पोश मकानात बने हुए है, पुख्ता कूप जिस पर बिजली लगी हुई है। अपीलान्ट्स के परिवार के करीब 70 सदस्य स्थायी रूप से निवास कर रहे है। रेस्पोडेन्ट सं. 5 व पटवारी एवं गिरदावर ने उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित कर अपीलान्ट्स के परिवारजनों के जीवन के साथ खिलवाड किया है। जहां सम्पत्ति कोर्ट में रेगुलर सुट हो वहा नामान्तरकरण जैसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इस जमीन की हमारे हक में डिक्री हो चुकी है। केशरा उसके विरूद्ध आर.ए.ए. में गया। हम उसके विरूद्ध राजस्व मंडल में गये जहां से प्रकरण रिमाण्ड हुआ। फलस्वरूप एसीईएम फास्ट ट्रेक में हमारा दावा खारिज हो गया। हम आर.ए.ए. में गये। वहां एसीईएम फास्ट ट्रेक का आर्डर खारिज हो गया। उक्त आराजी पर अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 के बीच करीब 25 वर्षो से वाद न्यायालयों में विचाराधीन एवं निर्णित होकर अब पुनः आर. ए. ए. के यहां से रिमांड होकर एसडीओ कोर्ट में विचाराधीन है। केशरा फौत हो चुका है एवं इसके तीन वारिस है। इन्होने इस भूमि को 13.02.2015 को रजिस्टर्ड डीड से ट्रान्सफर कर दिया। क्या इस दौरान दावा एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्भव है? क्या दौराने दावा जमीना ट्रान्सफर हो सकती है? लिसपेन्डेन्सी एक सिद्धान्त है उसके अनुसार कोई लैंड दौराने दावा हस्तान्तरणीय नहीं है। उक्त आराजी पर हमारा पुश्तैनी कब्जा रहा है। रेस्पोडेन्ट्स कही भी काबिज नहीं है। 13.02.2015 का बेचान बिना न्यायालय की अनुमति अवैध है। रामी वगैराह ने तो लिसपेन्डेन्सी के सिद्धान्त के विपरीत बेचान कर दिया है। जिससे ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल की एन्ट्री हो गई। जबकि ओमप्रकाश को क्या अधिकार मिले। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को भरने के बाद सम्बन्धित ग्राम पंचायत के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया जाना चाहिए । 45 दिन में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार के समक्ष तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए किन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण तहसीलदार, पटवारी व गिरदावर हल्का की मिलीभगत से दिनांक 13.02.2015 के अनाधिकृत विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 22.02.2015 का रविवारीय अवकाश के दिन नामान्तरकरण आदेश फरमा दिया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बतौर नजीर RBJ 2004 Page No. 197, RRD 1993 Page No. 774, RRD 1994 Page No. 129 B पेश कर निवेदन किया गया की अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22.02.2015 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स ने विरासत की अपील की है। 26.05.2014 को विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार हुआ है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इनके दावे में केशरा का निधन हो गया था। 29.01.2014 को विरासत के इंतकाल पर इनके दावे में जारी यथास्थिति पर रोक की अनुमति प्रदान की। जिसके अनुसार नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट्स के अनुसार नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रक्रिया है। इससे कोई हक पैदा नहीं हो जाता। लिसपेन्डेन्सी ऑफ सूट का भी जिक्र अपीलान्ट्स ने किया है। अपीलान्ट्स का दावा 02.12.2014 को खारिज हो गया। रेस्पोडेन्ट्स की रजिस्ट्री 13.02.2015 को हुई है। अतः यहां लिसपेन्डेन्सी का सिद्धान्त लागू नहीं होता। इस विक्रय का नामान्तरकरण 22.02.2015 को तस्दीक हुआ है। अपीलान्ट्स का कहना है कि उक्त आराजी पर इनके कब्जा है एवं मकान बने हुए है, यह कोई दलील नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा पेश किये गये दावे को महज इस आधार पर रिमाण्ड किया गया है कि ओमप्रकाश को भी आवश्यक पक्षकार बनाया जावे। किसी का भी अगर अधिकार प्रभावित होता है तो दावा किया जाता है ना कि नामान्तरकरण अपील की जाती है। (RRD 2018 पेज 502) विक्रय पत्र के नामान्तरकरण में कब्जा देखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। RRD 2003 के अनुसार नामान्तरकरण की स्थिति हक पैदा नहीं कर देती है। विरासत, ट्रान्सफर और डिक्री तीन तरह से नामान्तरकरण सम्भव है। नामान्तरकरण प्रक्रिया से अधिकार विनिश्चित नहीं किये जा सकता है। RRD 2010 पेज नं. 96 के अनुसार अगर कोई हक बनते है तो नामान्तरकरण से नहीं दावे से तय करावे। उक्त विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक हुआ है। यह लिसपेन्डेन्सी नहीं है। अपीलान्ट्स का दावा खारिज हो चुका है। अपीलान्ट्स को नामान्तरकरण की अपील महज कब्जे के आधार पर करने का कोई हक नहीं है। अपील में डाक्यूमेंट्स पेश करने का प्रोविजन नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत नजीरो का भी भली प्रकार अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण अपील से किसी के हक अधिकार तय नहीं होते है। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस पर चस्पा नहीं होती है तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे चस्पा होती है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.02.2015 भी निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1600 दिनांक 22.02.2015 ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official